(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2050–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–7–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण कमांक 384/अ–6/2013–14.

रामकरण पाठक तनय स्व0 रामप्रताप पाठक
निवासी चिरहुला तहसील हुजूर जिला
रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. देवेन्द्र पाठक तनय स्व0 रामप्रताप पाठक
2. दीनबन्धु पाठक तनय स्व0 रामप्रताप पाठक
3. श्रीमती विद्या पाठक पत्नी स्व0 दिनेश प्रसाद पाठक
4. मनोज पाठक तनय स्व0 दिनेश पाठक
5. रमेश पाठक तनय स्व0 रामप्रताप पाठक
   सभी निवासी चिरहुला तहसील हुजूर
   जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री नीलग्रीव पाण्डे, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २४ मई 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामकरण द्वारा ग्राम चिरहुला स्थित आराजी खसरा कमांक 317/1/6, शामिल नं0 6318, 319, 320, 322, 323, 324 व खसरा नं0 321/2 शामिल नं0 329 के

भूमिस्वामी रामसुन्दर पाठक के स्थान पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–5–15 के द्वारा आवेदक रामकरण के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया। अनावेदक कमांक 5 रमेश पाठक की ओर संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र इस आधार पर पेश किया कि आवेदक रामकरण ने सभी भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उक्त भूमि पर उनका भी हित है। अतः प्रकरण में दिनांक 30–5–15 को पारित आदेश को पुनः सुनवाई में लेकर सभी आवश्यक पक्षकार को सुनवाई कर निर्णय किया जाये। तहसीलदार आदेश दिनांक 27–6–15 के द्वारा प्रकरण में पुर्नविलोकन की आवश्यकयता प्रतीत होने से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर की ओर पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 02–7–15 के द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि रामप्रताप के छः लडके कमशः देवेन्द्र, दीनबन्ध, दिनेश रामसुन्दर, राकिशन, रमेश जिनमें हिस्सा 1/6 के अनुपात में पिता ने बाट दिया जिसका नामांतरण सभी हिस्से का पृथक–पृथक हो गया है तथा सभी अपने–अपने हिस्से में काबिज हो गए हैं। रामसुन्दर अविवाहित थे जो आवेदक के साथ रहने लगा व लापता होने से पहले अपना हिस्सा आवेदक रामकरण को दे दिया इस संदर्भ में वसीयत पत्र निष्पादित किया गया जिसके आधार पर आवेदक ने तहसील न्यायालय हुजूर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। सभी भाईयों के मध्य पृथक–पृथक बटवारा हो चुका है नामांतरण हो चुका है। एक भाई अपने हिस्से की भूमि को किसी एक को देने का अधिकार रखता है इसमें दूसरे भाईयों को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। इन्हीं आधारों पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–5–15 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। यह भी तर्क किया कि आपत्तिकर्ता ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 32 का

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुनर्विलोकन की मांग की जिसके आधार पर तहसीलदार ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण को पुनर्विलोकन में लेने का आदेश देने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदक ने रामसुन्दर के अलावा अन्य भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उन्हें पक्षकार बनाया आवश्यक था। आवेदक ने इस तथ्य को छुपाकर धोखे से नामांतरण करा लिया। जानकारी प्राप्त होने पर नामांतरण को निरस्त कराने हेतु पुर्नविलोकन आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण भेजा। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अनियमितताओं को देखते हुये पुर्नविलोकन अनुमति दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विधिसंगत है जिसें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक रामकरण द्वारा ग्राम चिरहुला स्थित प्रश्नाधीन आराजियों के संबंध में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार ने दिनांक 30–5–15 को नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अपीलीय योग्य था जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 44(1) अपीलीय योग्य था, परन्तु अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत न कर तहसीलदार के समक्ष पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक यदि तहसीलदार के आदेश से व्यथित थे उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। संहिता की धारा 51 ऊ. में पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है– "ऊ.

आवेदन–पत्र कौन दे सकता है – उपधारा (1) के अनुसार पुनर्विलोकन का आवेदन–पत्र मूल आदेश में 'हित रखने वाला पक्षकार; प्रस्तुत कर सकता है। 'हित रखने वाला पक्षकार; अभिव्यक्ति से प्रयोजन मूल प्रकरण के उस पक्षकार से है, जो उस आदेश से परिवेदित या दुखी हो।''

अनावेदक को संहिता की धारा 51 ऊ. के अनुसार रिव्यू आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारिता नहीं थी। इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन अनुमति हेतु प्रकरण प्रेषित करने में त्रुटि की है।

संहिता की धारा 51 ओ. पुनर्विलोकन की कार्यवाही की प्रकिया – ''जब कोई पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत हो, तब अनावेदकों को सूचना देने के पूर्व उसकी प्रारंभिक सुनवाई करना आवश्यक है जिसमें आवेदक को न्यायालय का यह समाधान करना होगा कि पुनर्विलोकन का कोई विधि–सम्मत आधार है। यह समाधान हो जाने के पश्चात न्यायालय अनावेदकों को सूचना देगा कि वे कारण बतालाएं कि बतलाए गए आधारों पर पुनर्विलोकन क्यों न स्वीकार किया जाए। ऐसी सूचना की तामील होने के पश्चात अनावेदकों के समक्ष, यदि वे उपस्थित हों और विरोध करें, इस बात का विनिश्चय होगा कि पूनर्विलोकन के आधार विधि–सम्मत हैं या नहीं।''

स्पष्ट है अनुविभागीय अधिकारी ने पुनर्विलोकन की अनुभति प्रदान करने के पूर्व विधि के प्रावधान अनुसार आवेदक को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना एक पेशी में पुनर्विलोकन हेतु अनुभति प्रदान करने के विधि विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 02–7–2015 निरस्त किया जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश